

खबर संक्षेप

विभागीय रैकिंग में सुधार लाए - अपर कलेक्टर

मण्डला। अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा केन्द्र, जनजातीय कार्य, तकनीकी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग की बैठक अपर कलेक्टर कक्ष में ली। बैठक में उन्होंने दिसंबर माह में दर्ज सीएम हेल्पलाइन की विभागावार-प्रकरणवार विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शिकायत के प्रकरणों की संख्या के आधार पर प्रतिदिन का लक्ष्य तय करते हुए फॉलोअप करें, जिससे आगामी दो सप्ताह में सभी प्रकरणों का सकारात्मक रूप से निराकरण कराया जा सके। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए अपर कलेक्टर ने कहा कि रैकिंग मंथ की शिकायतों के साथ-साथ 50 दिवस से अधिक समय से लम्बित प्रकरणों को भी समानांतर रूप से निराकृत कराएं। सभी विभाग अपनी विभागीय रैकिंग में सुधार लाएं। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी, लोक सेवा प्रबंधक, प्राचार्य आईटीआई सहित संबंधित संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे।

4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत

मण्डला। बलमसिंह पिता धरम सिंह निवासी ग्राम बीरमपुर, तहसील नारायणगंज की 1 अगस्त 2025 को नाला के पानी में नहाते समय डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण निकटतम वारसान को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व निवास के द्वारा मृतक के निकटतम वारसान पति श्रीमती चंद्रवती पति बलम सिंह बरकडे के खाते में आर्थिक सहायता की राशि प्रदाय की गई है।

डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद

हरिभूमि न्यूज़ | मण्डला

अधीक्षक मंडला रजत सकलेचा द्वारा आरोपियों पर रूपये 10,000 का ईनाम की घोषणा की गई। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा संभावित रूट का पता लगाने एवं साक्ष्य एकत्रित करने हेतु तकनीकी साक्ष्य एवं सयबर सेल की सहायता से जानकारी एकत्रित की गई। पुलिस टीम द्वारा तत्पर एवं सुनियोजित कार्रवाई करते हुए सफलता प्राप्त की तथा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी सलमान खान फरियादी के समूह की एक सदस्य से कुछ समय से परिचित था। आरोपी सलमान खान द्वारा परिचय का लाभ उठाकर स्वयं

आना जाना एवं रेकी कर गोपनीय रूप से इनकी प्रतिदिन की गतिविधियों एवं रूपये की जानकारी एकत्र कर ली गई थी। इन्होंने जानकारी के आधार पर आरोपीगण जबलपुर से टाटा जेस्ट कार क्रमांक MP 20 TA 1157 से मंडला आए तथा अपनी पहचान छुपाने एवं पुलिस को भ्रमित करने के लिए कार का नंबर काले टेप से बदलकर 4757 कर दिया व काले

टैप से MP 20 को छिपा दिया था, घटना स्थल की रेकी की एवं योजना के तहत पीछे से टक्कर मारकर पर्स लूटकर अंजनिया मार्ग से जबलपुर भाग गए तथा बीच मार्ग में ही रूपये बाँट लिए।

गिरफ्तार आरोपी में इमरान अंसारी पिता मोबीन अहमद, 25 वर्ष, जिला जबलपुर, श्याम सुंदर चौहान पिता रामकुमार चौहान, 35 वर्ष, जिला जबलपुर, दीपक चौधरी

पिता मुरारीलाल चौधरी, 39 वर्ष, जिला जबलपुर, मोह. सलमान पिता मोह. अकर्म, 28 वर्ष, जिला जबलपुर, सलमान खान पिता मोह. सलीम, 28 वर्ष, जिला जबलपुर शामिल रहे।

जप्त सामग्री में लूटी गई राशि में से 32,100/- नकद बरामद (शेष राशि की बरामदगी हेतु प्रयास जारी), एक सफेद टाटा जेस्ट कार क्रमांक=MP 20 TA 1157 की जपती की गई।

एसडीओपी मंडला पीयूष मिश्रा, निरीक्षक शफीक खान, निरीक्षक (रेंडियो) कृष्ण गोपाल जगती, उ.नि. संजीव उडके, उ.नि. सुरजीत सिंह परमार, सडनि भूमेश्वर बामनकर, स.अ. उ.नि. (रे.) संतोष कुमार, आरक्षक मुदुल, प्रियांश, रमेश, यमुना, राजकुमार धारुसिंह दिनेश, मधुर, दुर्गाश, मीनू, सुरेश को सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मामले में अधिकारी कर्मचारी को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

पिता मुरारीलाल चौधरी, 39 वर्ष, जिला जबलपुर, मोह. सलमान पिता मोह. अकर्म, 28 वर्ष, जिला जबलपुर, सलमान खान पिता मोह. सलीम, 28 वर्ष, जिला जबलपुर शामिल रहे।

जप्त सामग्री में लूटी गई राशि में से 32,100/- नकद बरामद (शेष राशि की बरामदगी हेतु प्रयास जारी), एक सफेद टाटा जेस्ट कार क्रमांक=MP 20 TA 1157 की जपती की गई।

एसडीओपी मंडला पीयूष मिश्रा, निरीक्षक शफीक खान, निरीक्षक (रेंडियो) कृष्ण गोपाल जगती, उ.नि. संजीव उडके, उ.नि. सुरजीत सिंह परमार, सडनि भूमेश्वर बामनकर, स.अ. उ.नि. (रे.) संतोष कुमार, आरक्षक मुदुल, प्रियांश, रमेश, यमुना, राजकुमार धारुसिंह दिनेश, मधुर, दुर्गाश, मीनू, सुरेश को सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मामले में अधिकारी कर्मचारी को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

पिता मुरारीलाल चौधरी, 39 वर्ष, जिला जबलपुर, मोह. सलमान पिता मोह. अकर्म, 28 वर्ष, जिला जबलपुर, सलमान खान पिता मोह. सलीम, 28 वर्ष, जिला जबलपुर शामिल रहे।

जप्त सामग्री में लूटी गई राशि में से 32,100/- नकद बरामद (शेष राशि की बरामदगी हेतु प्रयास जारी), एक सफेद टाटा जेस्ट कार क्रमांक=MP 20 TA 1157 की जपती की गई।

एसडीओपी मंडला पीयूष मिश्रा, निरीक्षक शफीक खान, निरीक्षक (रेंडियो) कृष्ण गोपाल जगती, उ.नि. संजीव उडके, उ.नि. सुरजीत सिंह परमार, सडनि भूमेश्वर बामनकर, स.अ. उ.नि. (रे.) संतोष कुमार, आरक्षक मुदुल, प्रियांश, रमेश, यमुना, राजकुमार धारुसिंह दिनेश, मधुर, दुर्गाश, मीनू, सुरेश को सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मामले में अधिकारी कर्मचारी को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

पिता मुरारीलाल चौधरी, 39 वर्ष, जिला जबलपुर, मोह. सलमान पिता मोह. अकर्म, 28 वर्ष, जिला जबलपुर, सलमान खान पिता मोह. सलीम, 28 वर्ष, जिला जबलपुर शामिल रहे।

जप्त सामग्री में लूटी गई राशि में से 32,100/- नकद बरामद (शेष राशि की बरामदगी हेतु प्रयास जारी), एक सफेद टाटा जेस्ट कार क्रमांक=MP 20 TA 1157 की जपती की गई।

एसडीओपी मंडला पीयूष मिश्रा, निरीक्षक शफीक खान, निरीक्षक (रेंडियो) कृष्ण गोपाल जगती, उ.नि. संजीव उडके, उ.नि. सुरजीत सिंह परमार, सडनि भूमेश्वर बामनकर, स.अ. उ.नि. (रे.) संतोष कुमार, आरक्षक मुदुल, प्रियांश, रमेश, यमुना, राजकुमार धारुसिंह दिनेश, मधुर, दुर्गाश, मीनू, सुरेश को सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मामले में अधिकारी कर्मचारी को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

गोंगा ने कहा-इतिहास को कमजोर करने की साजिश

मंडला का नाम बदलने पर आक्रोशित गोंगापा

* प्रशासन बोला-गामक जानकारी फैला रहे।

हरिभूमि न्यूज़ | मण्डला

मंडला में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगापा) ने मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मंडला का नाम बदलकर 'माहिष्मती नगरी' करने की कथित योजना के विरोध में किया गया। गोंगापा का आरोप है कि यह मंडला के इतिहास और गोंडवाना की समृद्ध विरासत को बदलने का प्रयास है।

प्रशासन ने कहा-गलत संदर्भ में फैलाई जा रही गामक जानकारी

जिला जनसंपर्क विभाग ने सोमवार शाम को सोशल मीडिया पोस्ट और प्रेस नोट के माध्यम से स्पष्ट किया था कि मंडला का नाम बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव न तो शासन



स्तर पर है और न ही ऐसा कोई निर्णय लिया गया है।

प्रशासन ने कहा कि पूर्व में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयानों को गलत संदर्भ में प्रस्तुत कर गामक जानकारी फैलाई जा रही है। प्रदर्शनकारी बोले-यह गोंडवाना के इतिहास को कमजोर करने की साजिश

गोंगापा ने प्रशासन के इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि मंडला केवल एक भौगोलिक नाम नहीं, बल्कि गोंडवाना की ऐतिहासिक राजधानी और आदिवासी स्वाभिमान का प्रतीक है। इस पहचान को

'माहिष्मती' जैसे भ्रामक और विवादाित नाम से जोड़ने का प्रयास गोंडवाना के इतिहास को कमजोर करने की साजिश है।

गोंगापा ने प्रशासन से सवाल किया कि यदि मंत्री का बयान गलत था, तो उसे उसी मंच या उसी दिन असत्य क्यों नहीं बताया गया? पार्टी

ने पूछा कि आंदोलन खड़ा होने के बाद ही सफाई क्यों दी जा रही है।

अक्टूबर में मंत्रियों के दिए गए बयानों पर जताया विरोध

दरअसल, यह विवाद अक्टूबर माह में मंडला में आयोजित कलसुरी

समाज के एक कार्यक्रम से शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल और पीएचई मंत्री संपतिया उडके शामिल हुई थीं। समाज द्वारा मंडला में माहिष्मती नगरी होने के प्रमाणों का हवाला देते हुए इसे माहिष्मती नगरी घोषित करने की मांग रखी गई थी। मंत्रियों के उस दौरान दिए गए बयानों को लेकर अब गोंगापा विरोध कर रही है।

कल मंगलवार को मंडला स्टेडियम के नजदीक निषादराज मंगल भवन के सामने एक विशाल आम सभा आयोजित की गई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम, महासचिव अमान सिंह पोतें, प्रदेश अध्यक्ष जे.पी. कमलेश तेलकाम, डॉ. आनंद राय सहित राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी, विभिन्न जिलों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा में शासन-प्रशासन को आड़े हाथों लिया गया मण्डला की विरासत को बदलने का आरोप लगाया गया साथ ही विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार के आरोप भी शासन-प्रशासन पर लगाये गये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सभा के बाद एक विशाल रैली निकाली गई जो कि नगर भ्रमण करती हुई जब एसबीआई कार्यालय के सामने पहुंची तो उसके आगे पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाये गये थे और वहीं इन लोगों को रोका गया लगातार नारेबाजी करते गोंगापा के कार्यकर्ता आगे जाना चाह रहे थे लेकिन प्रशासन यहीं आकर इनसे इनकी मांगों से संबंधित ज्ञापन स्वीकार किया इस दौरान शासन-प्रशासन का पुतला भी फूँका गया।



ग्राम अचली में श्रमदान से हुआ विशाल बोरी बंधान

हरिभूमि न्यूज़ | मण्डला

ग्राम पंचायत सेमरखापा के पोषक ग्राम अचली के नाला में बोरी बंधान का कार्य स्वैच्छिकता, सामूहिकता एवं श्रमदान के माध्यम से हुआ। यहां जल संरक्षण व संवर्धन के लिए लगभग 210 बोरियों का विशाल बोरी बंधान किया गया। जिसमें समाज कार्य में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कर रहे छात्र-छात्राओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता की। यह श्रमदान मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड मंडला द्वारा गठित ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति अचली, नवांकुर संस्था धेनु बाड़ी गौ संरक्षण समिति सेमरखापा तथा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास




कार्यक्रम के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों को जल संरक्षण एवं संवर्धन की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में जिला सामन्वयक राजेन्द्र चौधरी, विकासखंड समन्वयक संतोष कुमार झारिया, प्रस्फुटन समिति के पदाधिकारी, सामाजिक

कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

बैठक

उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में 9 एवं 10 जनवरी को विशेष कैम्प लगेगे।

निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण संबंधी बैठक संपन्न



* पोर्टल पर फॉर्म-6 ऑनलाइन भरा जाएगा।

हरिभूमि न्यूज़ | मण्डला

निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में पहले वाले विद्यार्थियों के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल

किए जाने के लिए 9 एवं 10 जनवरी को विशेष कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। एक जनवरी 2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, उनके लिए कैम्प के माध्यम से निर्धारित फॉर्म-6 ऑनलाइन तथा ऑफलाइन भरा जाना है।

जिला योजना भवन में संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं के नोडल अधिकारियों को बैठक आयोजित

की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार सिंह ने सभी नोडल अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी संस्था के कक्षा प्रभारियों से अर्हता तिथि की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों की सूची तैयार कराएं। सूची अनुसार निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने बीएलओ के माध्यम से नोडल

अधिकारियों को फॉर्म-6 उपलब्ध कराएं। सभी नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ईसीआई नेट ऐप एवं पोर्टल पर फॉर्म-6 ऑनलाइन भरा जाए। जिन विद्यार्थियों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उन्हें क्षेत्र के बीएलओ सुपरवाइजर के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संस्थाओं के नोडल अधिकारियों की विशेष जिम्मेदारी है

कि 9 एवं 10 जनवरी को आयोजित होने वाले कैम्प में संस्था के भीतर अर्हता रखने वाले सभी विद्यार्थियों के निर्धारित फॉर्म भरे जाएं। इस दौरान पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सर्सेस के प्राचार्य, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य पॉलीटेक्निक कॉलेज, प्राचार्य आईटीआई तथा सभी विकासखंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे।

क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर लोक सुनवाई की आम सूचना

सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 तथा संशोधित के प्राधान्यों के अन्तर्गत श्री शोभाकांत झा डोलोमाईट एण्ड लेटेराइट सॉयल माईनर्स, खसरान में 833, 834, 835 एवं 836 ग्राम मुगुवरा, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला, लीज क्षेत्रफल 1.56 हेक्टेयर, उखानन क्षमता आर.ओ.एन.-26, 7.07 टन प्रतिवर्ष (डोलोमाईट-19, 9.06 टन प्रतिवर्ष, लेटेराइट सॉयल-4, 172 टन प्रतिवर्ष, इंडरलेटेराइट वेस्ट-2, 629 टन प्रतिवर्ष) हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अनुक्रम में लोक सुनवाई कराने हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं परियोजना का कार्यकारी सारांश हिन्दी व अंग्रेजी में साइट कापी सहित का अयलोकन (1) कार्यालय कलेक्टर मण्डला (2) कार्यालय जिला पंचायत, मण्डला, (3) कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मण्डला, (4) ग्राम पंचायत ग्राम मुगुवरा, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला, (5) अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक, केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड क्रमांक 3 राजयोग भवन के पास ई-5 अरंसा कालोनी भोपाल (6) मुख्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5 अरंसा कालोनी भोपाल एवं (7) क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 'ए' टाटा 455/456 विजयनगर जबलपुर में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट www.mppcb.nic.in पर भी देखा जा सकता है। जिस किस्ती व्यक्ति को उक्त खदान के पर्यावरणीय विषय के संबंध में कोई सुझाव, विचार, टीका/टिप्पणी एवं आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो यह इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजय नगर जबलपुर (म.प्र.) के कार्यालय में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। इस परियोजना के लिए लोक सुनवाई दिनांक 11/02/2026 दिन बुधवार को प्रातः 11.00 बजे श्री शोभाकांत झा डोलोमाईट माईनर्स, माईनिंग ऑफ मिनरल्स, ग्राम मुगुवरा, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला, के खदान परिसर के समीप आयोजित की जायेगी जिसमें भी सुझाव, विचार, टीका/टिप्पणी एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर लोक सुनवाई की आम सूचना

सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 तथा संशोधित के प्राधान्यों के अन्तर्गत मेजर महावीर मिनरल्स, डोलोमाईट एण्ड लेटेराइट सॉयल माईनर्स, खसरान में 98 ग्राम, भटियाटोला, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला लीज क्षेत्रफल 2.83 हेक्टेयर, माईनिंग ऑफ मिनरल्स उखानन क्षमता आर.ओ.एन.-48779.8 टन प्रतिवर्ष (डोलोमाईट-34399 टन प्रतिवर्ष, लेटेराइट सॉयल-5965.4 टन प्रतिवर्ष, ओ.बी.-8415.4 टन प्रतिवर्ष) हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अनुक्रम में लोक सुनवाई कराने हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं परियोजना का कार्यकारी सारांश हिन्दी व अंग्रेजी में साइट कापी सहित का अयलोकन (1) कार्यालय कलेक्टर मण्डला (2) कार्यालय जिला पंचायत, मण्डला, (3) कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मण्डला, (4) ग्राम पंचायत ग्राम, भटियाटोला, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (5) अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक, केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड क्रमांक 3 राजयोग भवन के पास ई-5 अरंसा कालोनी भोपाल (6) मुख्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5 अरंसा कालोनी भोपाल एवं (7) क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 'ए' टाटा 455/456 विजयनगर जबलपुर में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट www.mppcb.nic.in पर भी देखा जा सकता है। जिस किस्ती व्यक्ति को उक्त खदान के पर्यावरणीय विषय के संबंध में कोई सुझाव, विचार, टीका/टिप्पणी एवं आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो यह इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजय नगर जबलपुर (म.प्र.) के कार्यालय में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। इस परियोजना के लिए लोक सुनवाई दिनांक 11/02/2026 दिन बुधवार को प्रातः 12.30 बजे मेजर महावीर मिनरल्स, डोलोमाईट एण्ड लेटेराइट सॉयल माईनर्स, ग्राम, भटियाटोला, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला के खदान परिसर में आयोजित की जायेगी जिसमें भी सुझाव, विचार, टीका, टिप्पणी एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी

शुद्ध पेयजल प्रदाय के लिए पीएचई की खण्ड स्तरीय टीमों गठित

मण्डला। इंदौर जैसे शहर में प्रदूषित जल के कारण बीमारी को देखते हुए जिला प्रशासन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और संक्रमण को रोकने के लिए विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को नल-जल योजनाओं के बेहतर संचालन और डिसइंफेक्शन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मंडला द्वारा जिले के सभी उपखंडों के लिए सहायक यंत्रियों के नेतृत्व में इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। गठित टीमों में सहायक यंत्रियों के साथ संबंधित क्षेत्र के उपयंत्री और केमिस्ट को भी शामिल किया गया है। सभी गठित टीमों द्वारा खण्ड क्षेत्र के मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही के लिए कार्य किया जायेगा। प्रतिदिन जल प्रदाय से पूर्व पानी में आवश्यक ब्लोचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराईड केमिकल आदि के माध्यम से जल शोधन सुनिश्चित होने की मॉनिटरिंग की जायेगी। साथ ही विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदाय की गई वाटर टैस्टिंग किट से ग्राम स्तर पर ही पेयजल की समय-समय पर जांच भी कराई जायेगी। पेयजल एवं जल परीक्षण से संबंधित समस्या के निराकरण लिए अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किया गया है।

नाम सुधार सूचना

मैं शपथकर्ता इंदो बाई पति मनगर लाल आयु 37 निवासी सिद्ध चौक घुघरी तहसील व जिला मण्डला का होकर निम्न कथन शपथपूर्वक सच-सच करता/करती हूँ। 1 यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। 2 यह कि मुझ शपथकर्ता/शपथकर्ता का वास्तविक नाम इंदो बाई है जो मेरे मूल निवासी प्रमाण पत्र में दर्ज है जो कि सत्य व सही है किन्तु मेरे आधार कार्ड (नं. 5006-7586-3513) में मेरा नाम नाव्दो बाई कर दिया गया है जो कि गलत है, मेरा वास्तविक नाम इंदो बाई है जो कि मेरे मूल निवासी प्रमाण पत्र में दर्ज है। 3 यह कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज मेरा नाम नाव्दो बाई के स्थान पर मेरा वास्तविक नाम इंदो बाई है जो कि मेरे मूल निवासी प्रमाण पत्र में दर्ज है। 3 यह कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज मेरा नाम नाव्दो बाई के स्थान पर मेरा वास्तविक नाम इंदो बाई पति मनगर लाल आयु 37 निवासी सिद्ध चौक घुघरी तहसील व जिला मण्डला का होकर निम्न कथन शपथपूर्वक सच-सच करता/करती हूँ। 1 यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। 2 यह कि मुझ शपथकर्ता/शपथकर्ता का वास्तविक नाम बुधिया बाई पति विशनुदास है जो कि मेरे भारतीय निर्वाचन पत्र में दर्ज है जो कि सत्य व सही है किन्तु मेरे आधार कार्ड (नं. 8544-8343-2536) में मेरा नाम दिवा बाई पालेश्वर पति नरेश पालेश्वर कर दिया गया है जो कि गलत है, मेरा वास्तविक नाम बुधिया बाई पति विशनुदास है जो कि मेरे भारतीय निर्वाचन प्रमाण पत्र में दर्ज है। 3 यह कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज मेरा नाम दिवा बाई पालेश्वर पति नरेश पालेश्वर के स्थान पर मेरा वास्तविक नाम बुधिया बाई पति विशनुदास अंकित किये जाने हेतु मेरे अपनाने वाले शपथ पत्र लिखावित कर रहा रही हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य व सही है अस्तव्य पाये जाने पर सम्पूर्ण जवाबदारी मेरी स्वयं की होगी।

शपथकर्ता इंदो बाई

नाम सुधार सूचना

मैं शपथकर्ता बुधिया बाई पति विशनुदास निवासी ग्राम देवद्वारा राजीव कॉलोनी बिडिया का होकर निम्न कथन शपथपूर्वक सच-सच करता/करती हूँ। 1 यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। 2 यह कि मुझ शपथकर्ता/शपथकर्ता का वास्तविक नाम बुधिया बाई पति विशनुदास है जो कि मेरे भारतीय निर्वाचन पत्र में दर्ज है जो कि सत्य व सही है किन्तु मेरे आधार कार्ड (नं. 8544-8343-2536) में मेरा नाम दिवा बाई पालेश्वर पति नरेश पालेश्वर कर दिया गया है जो कि गलत है, मेरा वास्तविक नाम बुधिया बाई पति विशनुदास अंकित किये जाने हेतु मेरे अपनाने वाले शपथ पत्र लिखावित कर रहा रही हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य व सही है अस्तव्य पाये जाने पर सम्पूर्ण जवाबदारी मेरी स्वयं की होगी।

शपथकर्ता बुधिया बाई

नाम सुधार सूचना

मैं शपथकर्ता बुधिया बाई पति विशनुदास निवासी ग्राम देवद्वारा राजीव कॉलोनी बिडिया का होकर निम्न कथन शपथपूर्वक सच-सच करता/करती हूँ। 1 यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। 2 यह कि मुझ शपथकर्ता/शपथकर्ता का वास्तविक नाम बुधिया बाई पति विशनुदास है जो कि मेरे भारतीय निर्वाचन पत्र में दर्ज है जो कि सत्य व सही है किन्तु मेरे आधार कार्ड (नं. 8544-8343-2536) में मेरा नाम दिवा बाई पालेश्वर पति नरेश पालेश्वर कर दिया गया है जो कि गलत है, मेरा वास्तविक नाम बुधिया बाई पति विशनुदास अंकित किये जाने हेतु मेरे अपनाने वाले शपथ पत्र लिखावित कर रहा रही हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य व सही है अस्तव्य पाये जाने पर सम्पूर्ण जवाबदारी मेरी स्वयं की होगी।

शपथकर्ता बुधिया बाई

खबर संक्षेप

बाइक की टक्कर से घायल

चीवली। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये दिवस गाम मऊ निवासी एक व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि उसका लडका अभिषेख अपनी मोटर साईकिल क्रमांक MP49MQ9918 से बहिन सबिता के साथ मानेगांव गया हुआ था जो रास्ते में एक मोटर साईकिल क्रमांक MP49MN5113 के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक अपनी मोटर साईकिल को चलते हुये टक्कर मारे जाने के चलते प्रार्थी के बेटा व बेटी को चोट पहुंचने से पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपी बाइक चालक के खिलाफ मामला कायम करारुये जांच में लिया गया है।

अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये किया गिरफ्तार

चीवली। पुलिस द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने वाले के लिये की जा रही गस्त के दौरान गाम गोटीटोरिया बस स्टैंड के पास एक युवक अपने हाथ में तेज धारदार हथियार लेकर घूमते हुये लोगों में दहशत फैलाने का प्रयास करते हुये पकड़कर जब आरोपी से पूछताछ की गई तो युवक ने अपना नाम दुर्गा पिता हाकम सिंह कौरव निवासी मोगपानी बताया गया। इस तरह पुलिस ने आरोपी के पास से बकनूना हथियार जप्त करते हुये धारा 25 आर्स एक्ट के तहत मामला कायम करते हुये गिरफ्तार किया गया है।

तीन ने मिलकर की मारपीट

गाइरवारा। समीपस्थ डोंगरगांव पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये दिवस गाम कुडारी निवासी युवक द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि जब वह किसी काम से जा रहा था उसी दौरान गांव के विनोद कौरव, गोपू एच संदीप कौरव मिले जो पुरानी बुराई को लेकर रास्ता रोकते हुये प्रार्थी को गंदी गंदी गालिया देते हुये लाठी से मारपीट कर चोटे पहुंचाई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। घटना को लेकर पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला कायम करते हुये जांच में लिया गया है।

महिला के घर में फैंकी जा रही शराब खाली बाटल

गाइरवारा। समीपस्थ डोंगरगांव पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये दिवस गाम चंदनखेड़ा निवासी एक महिला द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया कि उसका बेटा गाइरवारा रहता है तथा गांव में अकेली रहती है। पडीस में ही रहने वाले श्रेयांश व राज कौरव आये दून शराब पीकर प्राथियक के घर के आंगन में शराब की खाली बाटल फैंक देते हैं। इसी बात के चलते बीते हुये दिवस जब प्राथियक द्वारा आरोपियों की मां से इस संबंध में शिकायत की गई तो दोनों युवकों ने महिला को गंदी गंदी गालिया देते हुये जान से मारने की धमकी दी गई। पौडिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला कायम करते हुये जांच में लिया गया है।

मेड पर लगे हुये पेड़ की बात को लेकर मारपीट

गाइरवारा। समीपस्थ साईंखेड़ा पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये दिवस गाम खरती निवासी एक व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि उसके खेत से गाम के गोविंद किरार का खेत लगा हुआ है और मेड पर एक रमझा का पेड़ लगा हुआ है। गोविंद द्वारा उस पेड़ को तार बाड़ी लगाते हुये अपनी ओर कर लिया गया। इस संबंध में जब गोविंद से कहा कि यह पेड़ तो मेरी जगह में है उसको तुमने अपनी ओर क्यों कर लिया गया। इसी बात को लेकर गोविंद तथा उसके बेटा दीपक और अमान द्वारा गंदी गंदी गालिया देते हुये मारपीट कर चोट पहुंचाई। घटना को लेकर पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला कायम करते हुये जांच में लिया गया है।

पिता पुत्र के साथ की मारपीट

गाइरवारा। समीपस्थ साईंखेड़ा पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये दिवस गाम महुआखेड़ा निवासी एक व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि जब अपने घर था उसी समय गांव के गुड्डा ठाकुर और उसका लडका आकाश तथा अमित आये और प्रार्थी के पिता से गंदी गंदी गालिया देते हुये बोले की तेरा लडका कहा है जब प्रार्थी बाहर आया तो प्रार्थी के साथ लाठी से मारपीट कर चोटे पहुंचाई। इस दौरान प्रार्थी के पिता द्वारा बीच बावत करने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। घटना को लेकर पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला कायम करते हुये जांच में लिया गया है।

हरिभूमि न्यूज/खुलरी

शासन द्वारा चलाई जाने वाली किसी योजना का यदि समय पर किसानों को लाभ मिले तभी उस योजना का महत्व बढ़ जाता है और जनहितैषी कही जाती है। यदि उस योजना का किसानों को लाभ मिलने की जगह मात्र दिखावा साबित हो तो निश्चित ही उस योजना का औचित्य ही समाप्त होने से नहीं चूकता है...? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई इस समय क्षेत्र में बनी हुई नहरों को देखते हुये जान पड़ रहा है। बताया जाता है कि शासन द्वारा क्षेत्र में किसानों की भूमि का अधिग्रहण करने के साथ साथ करोड़ों की राशि खर्च करते हुये नहरों का निर्माण कराया गया था तो क्षेत्र के किसानों में इस बात की खुशी देखने मिल रही थी कि अब उन्हें अपने खेतों में सिंचाई करने के लिये पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। मगर क्षेत्र के किसानों की यह सोच मात्र एक सपना साबित होने से इसलिये नहीं चूक पा रही है। क्योंकि जब किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई करने का समय आता है तो बरगी नहर प्रबंधन द्वारा नहरों में पानी ही नहीं छोड़ा जाता है, जिसके चलते करोड़ों की राशि से बनी हुई क्षेत्र की यह नहरें जहां अनुपयोगी साबित होने से नहीं चूक पा रही है? वहीं दूसरी ओर यदि सच्चाई पर गौर किया जावे तो इन नहरों के संचालन को लेकर शासन द्वारा समितियों का गठन निर्वाचन प्रक्रिया के तहत पूर्ण किया जाता है, जिसके चलते पूर्व में गठित समितियों का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के कारण इस समय क्षेत्र की नहर व्यवस्था अधिकारियों के भरोसे चलने के कारण मनमानी का शिकार होते हुये देखी जा रही है। इसी का



पानी छोड़ने का इंतजार करते हुये

परिणाम है कि किसानों को क्षेत्र में बनी इन नहरों का किसी भी प्रकार का कोई लाभ मिलते हुये दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस समय किसानों द्वारा अपने खेतों में चना, गेहू सहित अन्य फसलों की बुआई करने के साथ साथ जिन किसानों द्वारा नया गाना रोपित किया गया है उन्हें सिंचाई के लिये पानी की जरूरत है। मगर इन नहरों में किसी तरह से पानी नहीं छोड़े जाने के चलते जहां शोभा की सुपारी बन कर रह गई है...? वहीं दूसरी ओर करोड़ों की लागत से बनाई गई इन नहरों में जहां तहां टूट फूट होने के साथ साथ झाड़िया उगते हुये दिखाई दे रही है वह निश्चित तौर से विभाग की उदासीनता पूर्ण कार्य प्रणाली की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस स्थिति में इन नहरों का निर्माण औचित्य विहीन बन चुका है। अब सबाल यह पैदा हो रहा है कि जब नहरों का उपयोग ही नहीं होना था तो फिर

सरकारी धन की होली खेलने का क्या मतलब रहा होगा...? इतना नहीं नहीं यदि नहरों के निर्माण की गुणवत्ता पर नजर डाली जावे तो यह हाल देखने मिल रहा है कि बगैर उपयोग किये ही नहरें टूटते हुये अपनी गुणवत्ता को खुद ही उजागर करने में पीछे नहीं है...? सही मायने में देखा जावे तो करोड़ों की लागत से बनी हुई यह नहरें क्षेत्र के किसानों के लिये औचित्य विहीन होते हुये दिखाई देने से नहीं चूक रही है। हैरत की बात तो यह है कि अपने निर्माण के बाद बगैर उपयोग हुये ही टूटती हुई इन नहरों की ओर न तो नहर विभाग द्वारा किसी भी तरह से ध्यान दिया जा रहा है और न ही क्षेत्र के जिम्मेदार नेताओं से लेकर अधिकारियों द्वारा जिसके चलते जहां करोड़ों की लागत से बनी हुई नहर मात्र शोभा की सुपारी



बनकर रहने से नहीं चूक पा रही है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में बनाई गई नहरों के निर्माण में अपनाई गई गुणवत्ता की सच्चाई पर गौर किया जावे तो निश्चित ही विभाग की उदासीनता के चलते जिस प्रकार से निर्माण कार्य करने वाली कंपनी द्वारा इन नहरों का निर्माण कार्य किया गया है उसके चलते लगातार टूटते हुये दिखाई दे रही है, जिससे क्षेत्र की नहरें अपने निर्माण में अपनाई गई गुणवत्ता की कहानी उजागर करने के साथ साथ उन अधिकारियों की कार्य प्रणाली को भी उजागर करने से नहीं चूक रही है जिनकी देख रेख में इन नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया था...? जिस सोच के चलते शासन द्वारा नहरों के निर्माण के लिये क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की भूमि अतिग्रहण करते हुये करोड़ों की

राशि खर्च कर क्षेत्र में नहरों का निर्माण कराया गया है। मगर इस समय क्षेत्र के किसानों को जरूर पड़ने पर पानी नहीं छोड़े जाने के कारण क्षेत्र के किसानों के लिये यह नहरें अनुपयोगी साबित होते हुये दिखाई देने लगी है। क्योंकि जरूरत के समय यदि किसानों को इन नहरों का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो फिर क्षेत्र में इन नहरों के बनाये जाने का महत्व अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुये क्षेत्र के किसानों द्वारा जिला कलेक्टर से मांग की गई है कि शीघ्रता से ही गाइरवारा तहसील क्षेत्र की नहरों की सफाई कराते हुये उनमें पानी छोड़ने के लिये संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुये किसानों को इस परेशानी की घटी में सहायता प्रदान कराई जावे जिससे किसान अपनी फसलों को बचाने में सफल हो सके।

शेखर व्हीकल्स ने अपने ग्राहकों को नया अध्यक्ष की मौजूदगी में वितरित किये लाखों के इनाम

हरिभूमि न्यूज/गाइरवारा। निश्चित ही जब कोई व्यक्ति किसी भी संस्थान से वाहन खरीदता है तो उसकी सोच रहती है कि उसे अपने वाहन की अच्छी सर्विस मिलने के साथ साथ सम्मान मिले। कुछ इसी प्रकार से शेखर व्हीकल्स द्वारा अपने ग्राहकों को सम्मान देते हुये देखे जाते हैं। बताया जाता है कि बीते हुये 22 सितम्बर से 31 दिसम्बर के बीच शेखर व्हीकल्स से बाइक खरीदने वाले ग्राहकों के लिये ग्राहकों के लिये जिस प्रकार से ड्रा के माध्यम से लाखों के इनाम प्रदान किये गये है उसके चलते उनके चेहरों पर अनोखी मुस्कान दिखाई देने से नहीं चूक पाई है। बताया जाता है कि बीते हुये मंगलवार को नया अध्यक्ष श्यामाकान्त मिश्रा के मुख्य आतिथ्य तथा रचना एंटरप्राइजेज के संचालक सिद्धांत जायसवाल सहित पार्षद आनंद दुबे, शिवम राजपूत, पत्रकार रवि खज्जांची, कमल राजपूत, लाल साहब कौरव, अब्दुल फिरोज खान, मकसूद खान व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अनीता रवि शेखर जायसवाल की मौजूदगी में ड्रा खोला



गया। इस लकॉ ड्रा में 450 ग्राहकों को शामिल किया गया था। वहीं बताया जाता है कि एकत्र किये गये कूपनों को ग्राहकों के बीच में बाँटे हुये लोगों के बीच बाँटा गया था। इस तरह लकी ड्रा के माध्यम से पाँच सम्माननीय ग्राहकों में शामिल सुखराम जाटव, सूरज नौरिया, कमलेश कुमार मेहरा, कपिल कुशवाहा, अरविंद जाटव को फिज प्रदान किये गये। वहीं रत्नेश कहार को वॉशिंग मशीन तथा संजू अहिरवार को भाग्य शाली विजेता बनने पर एलईडी टीवी प्रदान की गई।



इसके अतिरिक्त छोटू कहार, दुर्गा कौर, राज पटवा, कौशल शर्मा एवं संजय कुमार बंशकार को मिक्सी प्रदान की गई। वहीं 5 अन्य ग्राहकों को कंबल तो अन्य ग्राहकों के लिये लकी ड्रा के माध्यम से निकले हुये कूपनों के चलते 5 प्रेस, 5 रूम हीटर, 5 कुकर व 3 केतली तथा 12 के थर्मस प्रदान किये गये। इस अवसर पर शेखर व्हीकल्स के संचालक रवि शेखर जायसवाल ने सभी ग्राहकों एवं अतिथियों का स्वागत करते हुये बताया कि हमारे संस्थान में सला ही ग्राहकों के लिये सम्मान व उनकी समस्याओं के निराकरण के लिये प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

चंद लोगों द्वारा बिल जमा नहीं किये जाने से बिजली विभाग ने पूरे गांव को अंधियारे में रहने के लिये कर दिया मजबूर

हरिभूमि न्यूज/कल्याणपुर। जब कोई व्यक्ति शासन के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे सजा फलना बुरी बात नहीं है। मगर जो व्यक्ति नियमों का पालन कर रहा हो और साथ में उसे भी सजा दी जावे तो यह मनमानी का खुला प्रमाण है...? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई इस समय सिहोरा विद्युत वितरण केन्द्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कल्याणपुर में देखने मिल रही है। बताया जाता है कि बिजली विभाग द्वारा बीते हुये 15 दिनों से पूरी गांव की लाईन बंद रखते हुये समय पर अपने बिलों का भुगतान करने वाले लोगों को भी अंधियारे में रहने के लिये मजबूर कर दिया गया है। बताया जाता है कि ग्राम कल्याणपुर में स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने के चलते बिजली विभाग द्वारा उसे उठाकर ले जाया गया था। मगर उसमें सुधार कार्य नहीं किये जाने के चलते पूरा गांव अंधेरे में रहने के लिये मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जाती है तो उनका कहना है कि जब तक पूरे गांव का बिजली बिल भुगतान नहीं हो जाता है तब तक ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किया जावेगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगभग 70 प्रतिशत उपभोक्ता इस तरह है कि जो अपने बिजली बिलों को समय पर जमा करते हैं। मगर मात्र 30 प्रतिशत के लगभग उपभोक्ता है जो विभाग



के कर्मचारियों की सह प्राप्त होने के चलते बिजली बिल जमा नहीं करते हैं। मगर इस तरह बिलों को जमा करने वाले उपभोक्ताओं को अंधियारे में रखना बिजली विभाग की भागवती पूर्ण कार्य प्रणाली को उजागर करने से नहीं चूक रहा है...? ग्रामवासियों का कहना है कि जो लोग बिल जमा नहीं कर रहे हैं उनकी बिजली काट दी जावे या फिर अन्य किसी तरह की कोई कार्यवाही की जावे जिससे वह अपने बिलों का भुगतान करे। मगर जो लोग बिलों का समय पर भुगतान करते हैं उन्हें इस तरह अंधियारे में रखना क्या मनमानी की श्रेणी में नहीं आता है...? इस तरह बीते हुये लगभग 15 दिनों से गांव की लाईन बंद रहने के चलते लोगों को पीने के पानी की समस्या के साथ साथ अन्य परेशानियों से जूझने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है।

सुअरों के विचरण पर नियंत्रण न लगने से शहर में फैला रहा आक्रोश

हरिभूमि न्यूज/ गाइरवारा। स्वाईन प्लू जैसी जानलेवा बीमारी के वायरस फैलाने में अहित माने जाने वाले सुअरों के खुलेआम विचरण पर प्रभावी नियंत्रण न लगने का परिणाम है कि सैकड़ों की तादाद में रोज नगर में सुअर झुंड के रूप में घूमते हुए देखे जा रहे हैं तथा स्थिति के चलते लोगों दहशत फैला रहे हैं कि कहीं अब चल रहे ठंड के मौसम में स्वाईन प्लू वायरस अपनी आमद न दे डाले? क्योंकि नगर में जहां तहां घूमने वाले इन सुअरों से सुविक्त मिलना फिलहाल शहरवासियों को कठिन जान पड़ रहा है। गौरतलब है इन दिनों नगर के बाड़ों, कालवियों सहित शुकचारा सब्जी बाजार में तो सुअरों की उन्मुक्त विचरण लीला लगातार जारी है ही साथ ही सुअरों ने अब शहर लोगों के घरों के पास भरे रहने वाले पानी में भी अड़ा बनाने से नहीं चूक रहे हैं। जिसके चलते निश्चित तौर से यह भ्रमण करने को सुअर शहर में गंदगी फैलाने के साथ साथ बीमारियों को जन्म देते हुये जान पड़ रहे हैं। कुछ इसी प्रकार से नगर की गल्ला मंडी के एक शेड के पीछे बड़े गड्ढे में पानी भरा रहने से वह सुअरों की शायद संसद आ गया है। इसलिए इस गड्ढे में रात दिन सुअरों का जमावड़ा लगा रहता है और मौका मिलते ही ये अनाज की ढेरियों के पास पहुंच कर किसानों को परेशानी में डाल देते हैं। नगर के शुकचारा बाजार के पास सब्जियों की दुकानें लगाने वालों का कहना है कि आवारा सुअरों के विचरण से उन्हें सब्जियों की सुरक्षा करने में मुश्किल हो रहा है,



जगहों पर जाने में भी श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। जिसके चलते अब यह सुअर जहां सभी वर्ग के लोगों को परेशानी का कारण बनते हुये देखे जाने लगे हैं। मगर इसके बाद भी नया प्रशासन द्वारा इन सुअरों के भ्रमण पर अंकुश लगाने के लिये कोई उचित कदम नहीं उठाये जाने से लता रहा है कि शायद अब शहरवासियों को कोरोना वायरस की जग लड़ने के साथ साथ स्वाईन प्लू की महामारी से भी जूझने के लिये मजबूर होना पड़ेगा।

कथा के आयोजन में उमड़ रहा जन सैलाब, श्रीमद भागवत कथा के श्रवण से मिलता है पुण्य लाभ - जयंती किशोरी शर्मा

हरिभूमि न्यूज/गाइरवारा। स्थानीय जगदीश वार्ड में भागवत सेवा समिति द्वारा बीते हुये 3 जनवरी से जारी संगीतमय श्रीमद भागवत कथा के आयोजन से माहौल धर्ममय बना हुआ है। कलश यात्रा से प्रारंभ हुए इस आयोजन में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से संगीतमय श्रीमद भागवत कथा सुनने के लिये भक्तों की भीड़ उमड़ते हुये देखी जा रही है। वहीं कथा में कथा वाचिका सुश्री जयंती किशोरी शर्मा द्वारा प्रतिदिन संगीतमय श्रीमद भागवत कथा में प्रवचन दिये जा रहे हैं। वहीं कथा के चौथे दिन मंगलवार को उन्होंने गजेंद्र मोक्ष एवं भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा सुनाई। इस दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण जन्म का वर्णन सुनाते हुये कहा कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ते हैं, अधर्म का



बोल बाला होता है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान जन्म

लेते हैं। क्योंकि कंस प्रत्येक बार देवकी की संतानो का वध कर देता था लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और इस दुनियां को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया गया। जयंती किशोरी ने कथा में आगे कहा कि जीवन में बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। इसीलिये कभी भी बुरे दिनों से निराश नहीं होना चाहिये। भगवान का पूर्ण ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान की कथा सुनने से दुखों से निपटने का मार्ग मिलता है, जो भी व्यक्ति कथा का श्रवण करता है उसे पुण्य लाभ मिलता है। भागवत कथा से मन को शांति मिलती है एवं अच्छे संस्कार सीखने मिलते हैं। श्रीमद भागवत कथा जीवन में सदमार्ग पर चलने की सीख देती है।

शासकीय कार्यालयों में किराये से लगाने वाले वाहनों में शासन के नियमों को किया जा रहा है नजर अंदाज

हरिभूमि न्यूज/गाइरवारा। आबादी के बढ़ते दबाव के चलते पूरे जिले में सड़कों पर दौड़ने वाले चार पहिया सवारी वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इन वाहनों पर नियंत्रण के लिए नियम कायदे बने हैं, जिनका पालन कराने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है मगर विभागीय सुस्ती के कारण सड़कों पर बगैर परमिट के अनेक टैक्सी घडल्ले से चल रहे हैं जिसको लेकर देखा जाता है कि प्रशासन द्वारा वाहन चैकिंग के नाम पर कभी कभार कागजी खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है। वहीं गौर किया जावे तो बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है। जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराये से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है, मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सारसर परिवहन नियमों की अवहेलना हो रही है वहीं एक तर्फ जहां नियमों के परखे उड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व में भी कमी आ रही है, देखने में आ रहा है कि अधिकांश जीप, मार्शल, बुलेटो, स्कारपियों या उसे जैसे वाहन निजी कंपनियों में किराया पर सवारी देने के काम में लगे हुए हैं, इस प्रकार वाहन मालिक टैक्स की राशि बचाकर अपने वाहनों को सवारियों के परिवहन में लगा देते हैं और परिवहन विभाग कभी इसी जांच के लिए व्यापक अभियान नहीं छेड़ता, परिणाम स्वरूप ऐसे वाहन घडल्ले से चल रहे और इनकी संख्या दिनादिन बढ़ती जा रही है, जब कोई दुर्घटना होती है तब अधिकारियों से लेकर आम पब्लिक हाथ मलते रह जाती है।

खबर संक्षेप
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत खजरी मॉल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



डिंडौरी। बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से संचालित 100 दिवसीय इंटरैक्टिव थीम आधारित "बाल विवाह मुक्त भारत अभियान" के अंतर्गत 06 जनवरी 2026, मंगलवार को आयुष्मान आरोज्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र खजरी मॉल, अमरपुर (जिला-डिंडौरी) में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निदेशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्याम सिंह सिंगोर के मार्गदर्शन में वन स्टॉप सेंटर, डिंडौरी द्वारा आयोजित किया गया।
उपलब्धता है कि यह अभियान 27 नवंबर 2025 से 08 मार्च 2026 तक जिले में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक श्रीमती सविता धार्वे ने उपस्थित बालिकाओं एवं महिलाओं को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराया। उन्होंने बाल विवाह के सामाजिक, स्वास्थ्यगत एवं कानूनी दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह न केवल एक गंभीर सामाजिक बुराई है, बल्कि यह कानूनन दंडनीय अपराध भी है। इस अवसर पर वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से उपलब्ध विभिन्न सहायता सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई। महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं वन स्टॉप सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7828195167 के संबंध में विस्तार से बताया गया, ताकि आवश्यकता की स्थिति में वे तत्काल सहायता प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुसूरियों के विरुद्ध जागरूक रहने एवं समाज में इसके उन्मूलन हेतु सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (BPM) की भी उपस्थिति रही। जिले में बाल विवाह की रोकथाम एवं जनजागरूकता के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

जिला टास्क फोर्स व सतर्कता समिति की बैठक सम्पन्न



डिंडौरी। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में जिला टास्क फोर्स समिति एवं जिला सतर्कता समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक टी.एल. मीटिंग के पश्चात अपराह्न 02 बजे से प्रारंभ हुई, जिसमें जिले में बंधक श्रम उन्मूलन एवं संबंधित अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में बंधक श्रम (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विमुक्त कराए गए कुल 04 बंधक श्रमिकों को तात्कालिक राहत प्रदान की गई। इनमें सुशीला गौता भाई (उम्र 20 वर्ष), सुश्री संगीता समरदेया (उम्र 18 वर्ष), उमेश कुमार (उम्र 19 वर्ष) एवं लालू सिंह (उम्र 60 वर्ष) शामिल हैं। कलेक्टर के निदेशानुसार सभी विमुक्त बंधक श्रमिकों को पृथक-पृथक 30,000 की तात्कालिक आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि बंधक श्रम, बाल श्रम एवं श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित अधिनियमों की जानकारी आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाई जाए। इसके लिए उन्होंने निर्णय लिया कि प्रत्येक शनिवार को संबंधित निकायों में आयोजित होने वाले लोक कल्याण शिविरों के माध्यम से इन अधिनियमों के बारे में जागरूकता दी जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति शोषण का शिकार न हो और समय रहते प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा सके। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और बंधक श्रम उन्मूलन के लिए आपसी समन्वय के साथ निरंतर कार्यवाई करने पर बल दिया गया।

साप्ताहिक जनसुनवाई में 44 आवेदनों पर हुई सुनवाई



डिंडौरी। कलेक्टर सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं। इस दौरान कुल 44 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कई का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों में समय-समय निधारित कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाई के निर्देश दिए गए।

शहपुरा में सीबीएमओ बदले गए, 7 घंटे चली उच्च स्तरीय जाँच आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर प्रशासन सख्त

शहपुरा/डिंडौरी।

विकासखंड शहपुरा में आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर के निर्देश पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल प्रशासनिक कार्यवाई की गई है।

सीबीएमओ से हटाया गया प्रशासनिक व वित्तीय प्रभार

जारी आदेश के अनुसार खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं सीबीएमओ शहपुरा डॉ. सत्येन्द्र परस्ते को प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहदवानी में संलग्न किया गया है। वहीं डॉ. रमेश द्विवेदी को आगामी आदेश तक शहपुरा सीबीएमओ का अस्थायी प्रभार सौंपा गया है।

एसडीएम के नेतृत्व में व्यापक जाँच

मंगलवार 6 जनवरी को एसडीएम शहपुरा



एश्वर्या वर्मा के नेतृत्व में गठित जाँच समिति ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा में दस्तावेजों की विस्तृत जाँच की।

सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चली इस कार्यवाई में आयुष्मान योजना की प्रोत्साहन राशि से संबंधित अभिलेखों की बारीकी से समीक्षा

की गई तथा डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए।

नियमों के उल्लंघन की आशंका

प्रारंभिक जाँच में संकेत मिले हैं कि प्रोत्साहन राशि के वितरण में शासन द्वारा



निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। पात्र हितग्राहियों को लाभ न मिल पाने और अपात्र व्यक्तियों को राशि दिए जाने की संभावनाओं की जाँच की जा रही है। एसडीएम शहपुरा एश्वर्या वर्मा ने बताया कि जाँच पूरी निष्पक्षता के साथ की जा रही है। उन्होंने

कहा, सभी संबंधित पक्षों के कथन लिए गए हैं। तथ्यों के आधार पर विस्तृत जाँच रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि जाँच में अनियमितताएँ प्रमाणित होती हैं तो दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाई की जाएगी।

अनुपयुक्त स्थल पर तालाब निर्माण, पारदर्शिता पर सवाल



अमरपुर।

जनपद पंचायत अमरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कोको में रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2024-25 में एक तालाब निर्माण को स्वीकृति दी गई थी, जिसका कार्य प्रारंभ तो कर दिया गया, लेकिन

तालाब की कुल लागत लगभग 19 से 20 लाख रुपये बताई, लेकिन सटीक जानकारी देने में असमर्थता जताई। सचिव के अनुसार मजदूरी मद में करीब 6 लाख रुपये तथा सामग्री मद में लगभग 4 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। जब व्यय से संबंधित अभिलेख या रोकड़ बही

देखने की मांग की गई तो सचिव पंचायत कार्यालय से बाहर निकल गए और अपने घर चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर तालाब का निर्माण किया जा रहा है, वह पूर्णतः अनुपयुक्त है। इसके बावजूद उपर्युक्त द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया और सहायक यंत्री ने तकनीकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी। लेआउट स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। निर्माण स्थल की स्थिति देखकर यह स्पष्ट होता है कि उक्त तालाब से ग्रामीणों को निस्तार का कोई विशेष लाभ मिलने की संभावना नहीं है, जबकि निर्माण एजेंसी एवं संबंधित लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए अन्य निर्माण कार्य भी जांच के दायरे में हैं। यदि इन कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।



ऑल इंडिया ओपन ब्हालीवाल प्रतियोगिता में लगातार तीसरी बार अमरपुर बनी विजेता

ग्रामीण स्तरीय में विदयपुर टीम रही विजेता अमरपुर।

आदर्श क्लब नवयुवक मंडल भाखा विकासखंड अमरपुर के तत्वावधान में ग्राम भाखा माल में ऑल इंडिया ओपन एवं ग्रामीण स्तरीय चार दिवसीय ब्हालीवाल प्रतियोगिता का आयोजन किया। जिसमें जनपद पंचायत अमरपुर सहित जिले व अन्य जिलों की नामीग्रामी टीमों के अलावा अन्य राज्यों के लगभग 25 टीमों ने भाग लिया। ऑल इंडिया ओपन प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल प्रदर्शन करते हुए अमरपुर टीम लगातार तीसरी बार प्रथम विजेता बनी। जिसे 16 हजार रुपए नकद व ट्रॉफी, उपविजेता टीम रायपुर (छत्तीसगढ़) को 8 हजार रुपए नकद व ट्रॉफी एवं वहीं पर ग्रामीण स्तरीय ब्हालीवाल प्रतियोगिता में प्रथम विजेता टीम विदयपुर को 20 हजार रुपए नकद व ट्रॉफी, उपविजेता टीम भाखा ए को 10 हजार रुपए नकद व ट्रॉफी एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर भाखा बी टीम को 5 हजार रुपए नकद व ट्रॉफी ग्राम पंचायत सफरचंद देवेन्द्र साण्डया, आयोजन समिति अध्यक्ष चंद्र सिंह उदे, उपसरपंच चंद्र बहादुर ठाकुर, सहायक सचिव हेमंत ठाकुर, आयोजन समिति

उपाध्यक्ष तोप सिंह मरावी, सचिव मनीष गायकवाड, खेल सह संचालक नरेंद्र कुमार उदे, क्रीड़ा प्रभारी प्रीतम दास गायवाल, सफीक खान सहित अन्य अतिथिगणों, समिति सदस्यों के द्वारा प्रदान किया गया। आयोजित ऑल इंडिया एवं ग्रामीण स्तरीय ब्हालीवाल प्रतियोगिता में उद्घोषक की भूमिका में दीपक तिलगाम व सागर मरावी रहे। अत्याधिक ठंडी का मौसम होने के बावजूद ग्राम सहित आसपास गांवों के सैकड़ों खेलप्रेमी दर्शक देर रात्रि तक फाइनल मुकाबले के दौरान प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते रहे।

डिंडौरी को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सख्त अभियान

डिंडौरी।

शासन के निर्देशानुसार चल रहे स्वच्छता अभियान के तहत डिंडौरी नगर को प्लास्टिक मुक्त बनाए जाने के उद्देश्य से नगर परिषद द्वारा निरंतर कार्यवाई की जा रही है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के मार्गदर्शन में नगर परिषद डिंडौरी द्वारा 6 जनवरी 2026 को माँ नर्मदा जन्मोत्सव को दृष्टिगत रखते हुए विशेष प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान माँ नर्मदा महोत्सव ट्रेड मेला में लगे दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाई करते हुए 17 किलो 300 ग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई तथा संबंधित दुकानदारों से कुल 1,900 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। नगर परिषद की टीम ने बाजार क्षेत्र, माँ नर्मदा घाटों एवं विभिन्न बाड़ों में लगातार निरीक्षण कर दुकानदारों



और नागरिकों को पॉलीथिन का उपयोग न करने की सख्त हिदायत दी। टीम द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि पर्यावरण संरक्षण एवं माँ नर्मदा को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पॉलीथिन पर पूर्ण प्रतिबंध अत्यंत आवश्यक है। मुख्य

नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार के अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे और डिंडौरी नगर को पूर्णतः पॉलीथिन मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने नगरवासियों से अपील की कि शहर को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए इस मुहिम से जुड़ें तथा पॉलीथिन के स्थान पर कपड़े, जूट एवं कागज के थैलों का उपयोग करें। उक्त कार्यवाई के दौरान नगर परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

सीबीएसई मान्यता से नर्मदांचल विद्यापीठ को मिली नई पहचान

शहपुरा

जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल, बरगांव द्वारा संचालित नर्मदांचल विद्यापीठ को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की मान्यता प्राप्त हो गई है। यह उपलब्धि न केवल संस्था के लिए, बल्कि पूरे जनजातीय एवं ग्रामीण अंचल के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। सीबीएसई की मान्यता मिलने से अब नर्मदांचल विद्यापीठ के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रणाली से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आधुनिक पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पद्धति और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के माध्यम से विद्यार्थी अब देशभर की परीक्षाओं और करियर विकल्पों के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि नर्मदांचल विद्यापीठ की स्थापना का मूल उद्देश्य समाज के अतिम पंक्ति में

खड़े बच्चों तक श्रेष्ठ, समान और संस्कारयुक्त शिक्षा पहुंचाना रहा है। सीबीएसई की मान्यता ने इस उद्देश्य को और अधिक मजबूती प्रदान की है। इस उपलब्धि के पीछे जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल, बरगांव के मार्गदर्शन, विद्यालय प्रबंधन की दूरदर्शिता, शिक्षकों की कड़ी मेहनत, कर्मचारियों के सतत प्रयास और अभिभावकों के विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों में इस उपलब्धि को लेकर उत्साह का माहौल है। उनका मानना है कि अब क्षेत्र के बच्चों को बड़े शहरों की ओर पलायन किए बिना ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। सीबीएसई मान्यता के साथ नर्मदांचल विद्यापीठ ने क्षेत्र में शिक्षा के नए युग की शुरुआत कर दी है, जो आने वाले वर्षों में जनजातीय और ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा।

नर्मदा जयंती होगी प्लास्टिक मुक्त, दोना-पत्तल का होगा उपयोग

डिंडौरी। जिला शांति समिति की बैठक कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में दिनांक 06 जनवरी 2026 को अपराह्न 5.00 बजे कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिले में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी एवं नर्मदा जयंती पर्व को शांति, सौहार्द, आपसी भाईचारे एवं कानून व्यवस्था के साथ मनाए जाने हेतु की जाने वाली तैयारियों पर चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। बैठक में अवगत कराया गया कि दिनांक 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति, 23 जनवरी को बसंत पंचमी तथा 25 जनवरी को नर्मदा जयंती का पर्व जिले में श्रद्धालु एवं उत्सवास के साथ मनाया जाएगा। इन अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए गए। जिले के विभिन्न नर्मदा घाटों जैसे मालपुर, मेहदवानी, कुटरई, कोसमघाट, धरमपुरा घाट, जोगी टिकरिया, लक्ष्मण मढ़वा, रामघाट, चंदनघाट, कपिलधारा, शिवनार, तुलसीघाट सहित अन्य स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रकाश एवं साफ-सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। कलेक्टर ने नगर परिषद, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, होमगार्ड, विद्युत विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश



व्यवस्था, स्नान व वस्त्र बदलने की व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पार्किंग प्रबंधन तथा महिला सुरक्षा के सभी आवश्यक प्रबंध समय पर पूरे किए जाएं। साथ ही, होमगार्ड एवं तैराक दल की तैनाती, रस्सी, टॉच, मोटर बोट एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि नर्मदा जयंती के दौरान प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भंडारों में केवल पत्तल से बने दोना-पत्तल का उपयोग किया जाएगा तथा कचरा संग्रहण की समुचित व्यवस्था

आयोजकों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा और केवल आवश्यक सूचना प्रसारण के लिए सीमित उपयोग की अनुमति होगी। यातायात व्यवस्था के संबंध में निर्णय लिया गया कि नर्मदा जयंती के दिन सुबह 8 बजे से नगर क्षेत्र में चार पहिया वाहन, ऑटो व टेक्सी का प्रवेश प्रतिबंधित तथा निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े किए जा सकेंगे। भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था एवं आपात स्थिति से

निपटने हेतु पुलिस, होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग एवं राजस्व विभाग को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बसंत पंचमी के अवसर पर विद्यालयों में सरस्वती पूजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं शैक्षणिक सामग्री वितरण जैसे सामाजिक व शैक्षणिक आयोजनों में जनसहभागिता का आह्वान भी किया गया। कलेक्टर ने सर्वसहमति से निर्णय लिया कि नर्मदा घाट पर भोजन बनाने की अनुमति नहीं होगी। केवल श्रद्धालु स्नान और पूजा कर सकेंगे ताकि अन्य लोगों को असुविधा न हो। भोजन बनाने का स्थान घाट के बाहर उचित स्थान पर होगा। अनुविभागीय डिंडौरी के अनुमति से डीजे साउंड एवं भंडारा वितरण शहर में उचित स्थान पर ही किया जाएगा। साथ ही साथ माँ नर्मदा नदी के सातों घाटों पर अलग-अलग जगह पर पूजा-अर्चना, आरती की व्यवस्था की गई है ताकि एक ही जगह पर अत्यवस्था न फैल सके। नर्मदा समिति के सदस्यों की मांग पर कलेक्टर ने मंदिर की पुर्ताई और सभी घाटों पर विद्युत प्रकाश करने की व्यवस्था नगरपालिका एवं विद्युत विभाग को सौंपी गई। अंत में कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों, शांति समिति सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों से अपील की कि पर्वों को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से मनाने में प्रशासन का सहयोग करें।

